

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: 6(1) चिस्वा / 2 / 2023 / वाई-104-21236

जयपुर, दिनांक:

—:आदेश:—

डॉ० यामिनी सिंह, चिकित्सा अधिकारी ने एपीओ अवधि दिनांक 13.04.2018 से 15.05.2018 तक कुल 33 दिवस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर के कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दी है।

डॉ० यामिनी सिंह, चिकित्सा अधिकारी की एपीओ अवधि दिनांक 13.04.2018 से 15.05.2018 तक कुल 33 दिवस को राजस्थान सेवा नियमों के नियम-7(8)(ख)(III) के अंतर्गत ड्यूटी पर माने जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त नियमों के नियम 25-क के अंतर्गत उक्त अवधि का वेतन एवं भत्ते महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद से आहरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
3. डॉ० यामिनी सिंह, चिकित्सा अधिकारी जरिये निदेशक (जन.स्वा.)।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimsha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.08.20 18:09:32 IST
Reason: Approved